HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9805/2026
CNR: RJHC020573052026 | URN: CRLMB / 18135U / 2026

Siyaram Meena S/o Babulal Meena, Aged About 32 Years, R/o Alinagar, Post Chauru, Police Thana Alinagar Distt. Tonk. (Accused Petitioner Presently Confined In Central Jail Jaipur).

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vedant Sharma with Mr. Shivam Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Anurag Sharma, SPP with Mr. Anoop Meena and Mr. Akshat Sharma

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**30.07.2026**
2.	**order Reserved On:**	**30.07.2026**
3.	**Full Judgment/Operative Part Pronounced:**	**Full Judgment**
4.	**Pronounced On:**	**04.08.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त (जिसे आगे प्रार्थी कह कर सम्बोधित किया जाएगा) की ओर से अपनी नियमित ज़मानत हेतु यह ज़मानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत पुलिस थाना स्पेशल पुलिस स्टेशन असोजी, जिला एटीएस एवम आसोजी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2024 अपराध अंतर्गत धारा 419, 420, 120–बी भा. द. स, धारा 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम,1992 तथा धारा 66–डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में पेश किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है की प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं और प्रार्थी एक निर्दोष व्यक्ति है उसका उक्त मामले से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी के

विरुद्ध यह आरोप है की उसने दिनांक 13.09.2021 को निर्धारित उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा की दोनों पारियो में स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बिठाकर उक्त परीक्षा दिलवाई। प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए उक्त आरोप पूर्णतः निराधार है। विद्वान् विचारण न्यायलय ने प्रार्थी के द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज करते समय तथ्यों और विधि की दृष्टि से त्रुटि की है। वर्तमान मामले में प्रार्थी की अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी का इस मामले के अन्य अभियुक्तगण से दूर–दूर तक कोई संबंध है। प्रार्थी के द्वारा किया गया अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है तथा प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी का होना शेष नहीं है। प्रार्थी दिनांक 05.04.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक के द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किये गए हैं।

1: **"Manju Vishnoi Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 7780/2025 Order dated: 01.07.2025

2: **"Ritu Sharma Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 8805/2025 Order dated: 05.06.2025

3: **"Suresh Kumar Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 8646/2025 Order dated: 02.06.2025

4: **"Ashok Kumar Vishnoi Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 9488/2025 Order dated: 29.07.2025

5: **"Bhagwati Vishnoi Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 3307/2025 Order dated: 01.04.2025

6: **"Devesh Raika Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 8801/2025 Order dated: 18.09.2025

7: **"Manju Kumari Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 19696/2025 Order dated: 06.01.2026

8: **"Parmeshwar Lal Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 16257/2025 Order dated: 17.11.2025

9: **"Kartikeya Sharma Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 19668/2025 Order dated: 27.01.2026

10. **"Rajkumar Yadav Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 8805/2025 Order dated: 01.12.2025

11. **"Saroj Bishnoi Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 18402/2025 Order dated: 17.11.2025

12. **"Satyendra Yadav Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 18280/2025 Order dated: 17.11.2025

13: **"Anil Sankhla Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 9564/2025 Order dated: 12.08.2025

14: **"Mahendra Kumar Choudhary Vs State of Rajasthan"** S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1156/2026 Order dated: 09.02.2026

15: **"Ashok Kumar Vs State of Rajasthan"** S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 5109/2026 Order dated: 10.04.2026

विद्वान् लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थी के द्वारा उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अवैधानिक माध्यमों का सहारा लिया गया है। उसके द्वारा उक्त परीक्षा की दोनों पारियो में स्वयं के स्थान पर किसी अन्य डमी अभ्यर्थी को बैठाने के लिए सहअभियुक्त हनुमान प्रसाद मीणा से 15 लाख रूपए में सौदा किया गया जिसके चलते प्रार्थी को हिंदी विषय में 200 में से 140.21 अंक तथा सामान्य ज्ञान विश्व में 200 में से 109 अंक प्राप्त हुए। अतः प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह ज़मानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

विद्वान् लोक अभियोजक के द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किये गए हैं।

1: **"Sher Singh Vs State of Rajasthan and Other Connected Matters"** S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1158/2026 Order dated: 22.05.2026

2: **"Hanuman Prasad Vs State of Rajasthan"** SLP (Crl.) No(s). 14758/2025 Order dated: 27.11.2025

मैंने उभयपक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवम प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने दिनांक 13.09.2021 को निर्धारित उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में स्वयं के स्थान पर किसी डमी अभ्यर्थी को बैठाने के लिए सहअभियुक्त हनुमान प्रसाद मीणा से 15 लाख रूपए में सौदा तय किया जिसके चलते प्रार्थी को हिंदी विषय में 200 में से 140.21 अंक तथा सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 109 अंक प्राप्त हुए यद्यपि शारीरिक दक्षता की परीक्षा में असफल होने के कारण उसका उक्त पद पर अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया परन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इस तथ्य को विनिर्दिष्ट किया गया है कि विवादित हस्ताक्षर और लिखावट (Q1–Q6) प्रार्थी सियाराम मीणा के असली हस्ताक्षरों और लिखावट (S 1–S 91) तथा (A1 - A14) से मेल नहीं खाते। जिसका तात्पर्य यह कि Q1 से Q6 पर जो हस्ताक्षर और लिखावट है वे प्रार्थी सियाराम मीणा द्वारा लिखे गए प्रतीत नहीं होते है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के द्वारा अपने स्थान पर उक्त परीक्षा को देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा पारित विनिश्चय **"Sher Singh Vs State of Rajasthan and Other Connected Matters"** S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1158/2026 आदेश दिनांकित 22.05.2026 में अभियुक्तगण कुनाल चौधरी व चूनाराम को अपने स्थान पर परीक्षा में किसी अन्य डमी अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए नियुक्त करने के आरोप को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को ज़मानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना। प्रार्थी के द्वारा कारित किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सियाराम मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा** की ओर से प्रस्तुत यह ज़मानत प्रार्थना पात्र अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/ Res.